

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

संख्या: 1479/यू.पी.रेरा/साम.रेग्यू. 2019, 5वां संशो./2024-25

दिनांक: 19 फरवरी, 2025


अधिसूचना

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) रेग्यूलेशन्स, 2019 5वां संशोधन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पत्रांक:16940/यू.पी.रेरा/साम.रेग्यू. 2019, 5वां संशो./2024-25, दिनांक 14.12.2024 में अभिकथित है कि "यह विनियमन प्राधिकरण की वेबसाइट (वेब पोर्टल) पर प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे" स्पष्टता के लिये इस वाक्य में "होंगे" के उपरान्त "तथा इस तिथि को लम्बित स्थल निरीक्षण के सभी प्रकरणों में लागू होंगे" जोड़ा गया है।

उक्त अधिसूचना उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की 164वीं बैठक दिनांक 11-02-2025 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी की जा रही है। अतः पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-16940/यू.पी.रेरा/साम.रेग्यू. 2019, 5वां संशो./2024-25 दिनांक 14-12-2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।


अतः उक्तानुसार आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- (1) मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
- (2) समस्त मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (3) न्यायनिर्णायक अधिकारीगण, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (4) विधि सलाहकार, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (5) वित्त नियंत्रक, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (6) तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (7) संयुक्त सचिव/उपसचिव, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (8) सहायक निदेशक सिस्टम्स/सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. रेरा को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु। हेतु।
- (9) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की मा. पीठों में आबद्ध कार्मिको/लॉ-क्लर्क-सह रिसर्च सहायक को अनुपालनार्थ।


(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव